वर्ष 2008–2009 की प्रमुख उपलब्धियां

1. आयोजना व्यय प्रतिशत :

वर्ष 2007–08 की आयोजना सिलिंग रू 31827.01 लाख थी जो वर्ष 2008–09 में रू 64180.99 लाख स्वीकृत हुई है; जो गत वर्ष की तुलना में 201.66 प्रतिशत वृद्धि की गई । माह मार्च 2009 तक आयोजना व्यय राशि रुपये 66711.05 लाख हो चुका है ।

2. निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना :

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने की दृष्टि से नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने के लिए राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत समस्त बालक एवं बालिकाओं एवं माध्यमिक विद्यालय एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों डीपीईपी, एसएसए, वैकल्पिक विद्यालयों, नवाचारी शिक्षा केन्द्रों तथा मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही है । योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में 39.70 करोड़ रूपये मूल्य की 3.33 करोड़ पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गई जिससे अनुमानित 81.32 लाख बालक–बालिकाएं लाभान्वित हुए है।

3. नामांकन :

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित 8 पूर्व प्राथमिक (7 राज.+1 गैर.राज.) विद्यालयों, 51724 प्राथमिक (47359 राज.+ 4365 गैर.राज.) विद्यालयों एवं 49669 उच्च प्राथमिक (29111 राज.+20558 गैर.राज.) विद्यालयों में 6–11 आयु वर्ग के 94.37 लाख एवं 11–14 आयु वर्ग के 30.48 लाख छात्र–छात्राओं को नामांकित कर शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त नामांकन में समस्त प्रकार के राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियो को शामिल किया गया है ।

4. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम

6–14 आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं की नियमित उपस्थिति के संकल्प के साथ विद्यालय जाने योग्य सभी बालक–बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाने, विद्यालय को समाज से जोडने तथा विद्यालय संचालन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए चालू वर्ष में प्रवेश प्रकिया 8 अप्रेल 2008 में प्रारंभ की गई एवं प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 अप्रेल 2008 से 15 मई 2008 तक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया।

5. नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलना

वर्ष 2008–09 में देवनारायण योजनान्तर्गत 20 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गऐ।

6. राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन

वर्ष 2008–09 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1000 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है, जिनमें से 963 बालक, 32 बालिका एवं 5 शिक्षा कर्मी विद्यालय सम्मिलित है।

7. भामाशाह सम्मान समारोह :

विभाग द्वारा वर्ष 1991 में भामाशाह योजना का सूत्रपात किया गया, जिसका उद्‌देश्य छोटे दानदाताओं से लेकर बड़े दानदाताओं को अभिप्रेरित कर शाला के शैक्षिक, सहशैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए योगदान प्राप्त करना तथा उन्हें शाला के विकास से अपनत्व एवं भावात्मक जुडाव का अहसास कराता है। वर्ष 2008 में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में राज्य के 44 भामाशाहों तथा 15 अभिप्रेरकों को सम्मानित किया गया है, जिससे विभाग को कुल 683.07 लाख रूपयों का सहयोग प्राप्त हुआ ।

8. डाइट्स मे बी.एस.टी.सी. पाठ्यक्रम :

राज्य में संचालित 30 डाईट्स में सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बी.एस.टी.सी.) वर्ष 2003–04 से अनवरत चल रहा है राज्य की 30 डाइटस, 1 राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, 14 निजी संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय 27 पूर्व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्याालय तथा 211 सामान्य निजी एस.टी.सी. विद्यालयो में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर नोडल संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त नीपा नई दिल्ली, एच.सी.एम. जयपुर,एच.सी.एम. बीकानेर, रीपा जयपुर, आर.आई.ई. अजमेंर, सी.सी.आर.टी. नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी., एन.सीटी.ई. के द्वारा समय समय पर चयनित अध्यापको प्राध्यापको कर्मचारी एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्य करवाये जाते है। इस वर्ष आरपीएससी. से चयनित एनटीटी योग्यताधारी ट्रेनी अध्यापकों को एस.टी.सी. की समकक्षता प्रदान करने हेतु ब्रिज कोर्स (छः माह) करवाया गया है ।

9. कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा का आयोजन

हिन्दी माध्यम के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 8 के विद्यार्थियों की वर्ष 2008 की वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के माध्यम से आयोजित करवाई गई। इस परीक्षा में 570690 नियमित(राजकीय विद्यालय) 446298 नियमित(अराजकीय विद्यालय) एवं 19533 स्वयंपाठी कुल 1036521 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा का औसत परीक्षा परिणाम 67.38 प्रतिशत रहा।

10. मदरसा सुदृढीकरण योजना :

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं की तर्ज पर वर्ष 2008–09 में मदरसों में कार्यरत पैरा टीचर्स के मानदेय हेतु 700.00 लाख रूपये प्रावधित हैं। मदरसा शिक्षा के विकास, आधुनिकीकरण एव सुदृढ़ीकरण हेतु गठित राजस्थान मदरसा बोर्ड के प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए वर्ष 2008–09 में 30.00 लाख रू की राशि का प्रावधान है। माह मार्च 2009 तक मदरसा बोर्ड के पी.डी खाते में राज्य सरकार द्वारा 740.00 लाख राशि स्थानान्तरण कर दी गई है।

11. छात्रवृत्ति :

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु विमुक्त एवं सीमान्त क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बालक–बालिकाओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बालक–बालिकाओं को अस्वच्छ छात्रवृत्ति दी जाती है । प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बालकों को 15 रूपये एवं बालिकाओं को 20 रूपये प्रतिमाह देय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त राशि से अस्वच्छ छात्रवृति में कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी को 40 रूपये प्रतिमाह एवं कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बालक–बालिकाओ को 60 रू. प्रतिमाह देय है । इसी के साथ अस्वच्छ छात्रवृत्ति के अन्तर्गत सभी बालक–बालिकाओं को 550 रूपये छात्रवृति एक मुश्त अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2008–09 में इन छात्रवृतियों के वितरण हेतु अब तक अनु.जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 324.76 लाख रूपये एवं अस्वच्छ छात्रवृति हेतु 418.70 लाख रूपये कुल 743.46 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के अन्तर्गत डाइट में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह 140 रु. से 10 माह हेतु छात्रवृति (अनुरक्षण) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर से प्राप्त बजट से भुगतान की जाती है । वर्ष 2008–09 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 23.30 लाख का बजट प्राप्त हुआ है ।

12. विकलांग एकीकृत योजनाः

इस योजना के तहत विकलांग बालकों को राज्य में चिन्हित 32 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा है । इन विद्यालयों में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थी को पुस्तकें, स्टेशनरी हेतु 400 रू., पोशाक हेतु 200 रू., वाहन भत्ता 500 रू., पाठ्य भत्ता 500 रू. (नेत्रहीन हेतु) एस्कोर्ट भत्ता 75 रू,. उपकरण 2000 रू. एवम् विकलांग परख जाँच 150 रू. देय है । विकलांग एकीकृत योजना मय छबड़ा प्रोजेक्ट के अंतर्गत वर्ष 2008–09 हेतु 74.14 लाख रूपये प्रावधित है। माह मार्च 2009 तक 84.48 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

13. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनाः

उक्त योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु लागू बीमा योजना का वर्ष 2008–09 का नवीनीकरण दिनांक 14.11.2008 से 13.11.2009 तक के लिए राशि 75.00 लाख रुपये स्वीकृत की गई तथा जिसका भुगतान निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को किया जा चुका है । उक्त अन्तर्गत वर्तमान में 166 क्लेम हेतु 28.91 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोहों में सम्मानित भामाशाहो एवं प्रेरको की वर्ष वार संख्यात्मक सूचना–

सम्मान समारोह	वर्ष	सम्मानित भामाशाह	सम्मानित प्रेरक	प्राप्त सहयोग राशि (रू लाखों में)
प्रथम	1995	141	10	805.00
द्वितीय	1996	116	9	951.00
तृतीय	1997	98	4	436.00
चतुर्थ	1998	111	5	378.00
पंचम	1999	132	8	632.67
पष्ठम	2000	28	6	340.67
सप्तम	2001	31	6	353.23
अष्ठम	2002	33	10	355.01
नवम	2003	41	7	435..70
दशम	2004	23	10	493.28
एकादशम	2005	30	12	496.99
द्वादशम	2006	32	8	824.90
त्रयोदश	2007	54	22	1110.57
चतुर्दश	2008	44	15	683.07